न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 873/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 नीम्बाराम पुत्र ताजाराम जाति मेघवाल निवासी पुरोहितों की बस्ती तहसील व जिला बाडमेर।		1 बींजाराम 2 हीराराम पिसरान मगाराम जाति मेघवाल 3 इन्द्रसिंह 4 आरुसिंह 5 चेलसिंह पिसरान इसराजी जाति पुरोहित 6 दानाराम पुत्र हीराराम जाति सुथार निवासी पुरोहितों की बस्ती तहसील व जिला बाडमेर 7 शाखा प्रबन्धक स्टेण्ड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा उतरलाई 8 शाखा प्रबन्धक स्टेण्ड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कवास 9 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री डूंगरसिंह महेचा, वकील प्रार्थी।

आदेश

दिनांक 10/02/21

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार क्षेत्र मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 504/470 रकबा 19.06 बीघा भूमि प्रार्थी की खातेदारी की आई हुई है। प्रार्थी की जोत में जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 576/467, 551/467, 468, 585/466 में से रास्ते से सरकारी रास्ते तक जाने का एक–मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थी के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थी को अप्रार्थीगण की भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ईकतरफा। तहसीलदार बाडमेर से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक राजस्व/2021/260 दिनांक 01.02.2021 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि मौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार क्षेत्र मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 504/470 रकबा 19.06 बीघा को मुख्य मार्ग (कटाण/सड़क) तक आने–जाने हेतु मौके पर रास्ता नही है तथा प्रार्थी के खेत से उतरलाई से मूढों की ढाणी–चौखला जाने वाली डामर सड़क तक जाने हेतु खसरा संख्या 576/467, 551/467, 585/466 व 468 की मौजूदा माठ रास्ते हेतु कम दुरी का मार्ग रहेगा। मौके पर अप्रार्थीगण के खसरों की माठ खाली है। तहसीलदार बाडमेर ने मौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार क्षेत्र मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 504/470 रकबा 19.06 बीघा में निम्नानुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित की है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.02.22 16:07:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	रास्ता लम्बाई / चौड़ाई (फीट में)	प्रस्तावित मार्ग (रकबा में)	डीएलसी दर	डीएलसी दर	डीएलसी की दुगनी राशि
	2	3	4	5	6	7	8	9
	छानाराम पुत्र हीराराम जाति सुथार सा. देह खातेदार	585/466	05.14	105 X 18 फीट	0.02	108923.00	10893.00	21786.00
2	हीराराम पुत्र मगाराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार	551/467	17.16	269 X 18 फीट	0.06	108923.00	32677.00	65354.00
3	बीजाराम पुत्र मगाराम जाति मेगवाल सा. देह खातेदार	576/467	17.16	190 X 18 फीट	0.04	108923.00	21785.00	43570.00
	योग :–	03	–	564 X 18 फीट	0.12	–	65355.00	130710.00

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि तहसीलदार बाडमेर द्वारा मौके का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है वह उसे स्वीकार है तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया।

प्रकट तथ्यों, पत्रावली के अवलोकन एवं तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि प्रार्थी का अपनी कृषि जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का है। आवेदन स्वीकार योग्य है।

अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में आवेदन स्वीकार किया जाता है। मौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार क्षैत्र मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 504/470 रकबा 19.06 बीघा भूमि में से रास्ते हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की भूमि में से सरकारी मार्ग तक जाने हेतु रकबा 0.12 बीघा जो संलग्न नक्शा परिषिष्ठ 'अ' में बरंग लाल दर्शाई गई है। तहसीलदार बाडमेर उक्तानुसार राशि, प्रार्थी से राजकोष में जमा करावे। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा करवाने पर तहसीलदार बाडमेर राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा अप्रार्थी 01 से 06 को नियमानुसार भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिषिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2022.02.22 16:07:00 IST
Reason: SelfAttested

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक ...10/02/21... को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर